(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खंड–3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 06/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 13 मई, 2022

विषयः गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): जबकि, कई कारणों से गेहूं के वैश्विक मूल्यों में आए अचानक उछाल के परिणामस्वरूप भारत, पड़ोसी तथा अन्य प्रभावित देशों के सामने खाद्य सुरक्षा का जोखिम उत्पन्न हो गया है;

जबकि, भारत सरकार भारत, पड़ोसी देशों तथा अन्य प्रभावित विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है जो गेहूं के वैश्विक बाजार में इस अचानक आए परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति कर पाने में असमर्थ हैं;

इसलिए, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा पड़ोसी और अन्य प्रभावित देशों की आवश्यकताओं की सहायता करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार विदेश वयापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा गेहूं के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 10 क्रम संख्या 59 की निर्यात नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है;

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
59	1001 10011900 100199 10019910 10019920	डुरम गेहूं अन्य अन्य अन्य गेहूं अन्य	मुक्त	निषिद्ध

2. तथापि उपर्युक्त उत्पादों/मदों का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमत होगा:

(क) संक्रमणकालीन प्रबंधन के रूप में, शिपमेंट के मामले में निर्यात अनुमत होगा जहां अप्रतिसंहारणीय साख–पत्र जारी किए जाने के पश्चात अथवा इस अधिसूचना की दिनांक से अथवा पहले जो निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन है: अथवा

(ख) अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर निर्यात भी अनुमत होगा।

3. <u>अधिसूचना का प्रभावः</u>

उपर्युक्त एचएस कोड के तहत गेहूं की निर्यात नीति उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने को छोड़कर शिपमेंट के लिए तत्काल प्रभाव से "निषिद्ध" है जो कि विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.05(ख) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अनुमत होगी।

संतोष कुमार सारंगी
13.5.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

(फा. सं. 01/91/180/032/एएम–22/ईसी/पार्ट/ई–31336)